



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272334
CG-DL-E-08052026-272334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2194]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2285(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को 80,000/- रुपये (नियत) के वेतनमान (संशोधन पूर्व) [7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स (225000/- रुपये) में स्तर-17] में, इस पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए- 45011/534/2025-प्रशा.IV-एमसीए]

अनिता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2285(E).— In exercise of the powers conferred by section 408 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints Justice (Retd.) Anupinder Singh Grewal, former Judge of the High Court of Punjab and Haryana as President in the National Company Law Tribunal in the pay scale of Rs. 80,000/- (fixed) (pre-revised) [level-17 (Rs. 225000/-) in the pay matrix as per 7th Central Pay Commission] for a period of five years from the date of assumption of charge of the post, or till he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.

[F. No. A-45011/534/2025-Ad.IV-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.